

देशदरोह कानून

प्रलिमिस के लिये

IPC की धारा 124A

मेनस के लिये

देशदरोह कानून और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम पुलसि द्वारा असम के असमिया और बंगाली भाषी लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिये एक पत्रकार पर **देशदरोह** का आरोप लगाया गया था।

प्रमुख बहु

■ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- राजदरोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में अधिनियमित किया गया था, उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये, क्योंकि लित राय सरकार और राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।
- इस कानून का मसीदा मूल रूप से वर्ष 1837 में बरटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में **भारतीय दंड संहिता** (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।
- वर्तमान में राजदरोह कानून की स्थिति: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजदरोह एक अपराध है।

■ वर्तमान में राजदरोह कानून

◦ IPC की धारा 124A

- यह कानून राजदरोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परभिष्ठि करता है जिसमें 'कसी व्यक्तिद्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति विवादित, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।'
- विदेशी में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशशि किये बना की गई टिप्पणियों को अपराध की शरणी में शामिल नहीं किया जाता है।

◦ राजदरोह के अपराध हेतु दंड

- राजदरोह गैर-जमानती अपराध है। राजदरोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- इस कानून के तहत आरोपित व्यक्तिको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
 - आरोपित व्यक्तिको पासपोर्ट के बना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।

■ राजदरोह कानून का महत्व:

◦ उचिति प्रतिबंध:

- भारत का संवधान उचिति प्रतिबंध (**अनुच्छेद 19(2)** के तहत) निर्धारित करता है जो अभियक्ति की सवतंत्रता के अधिकार के प्रति ज़िम्मेदार अभ्यास को सुनिश्चित करता है साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति नागरिकों के लिये समान रूप से उपलब्ध है।

◦ एकता और अखंडता बनाए रखना:

- राजदरोह कानून सरकार को राष्ट्र-वरिष्ठी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद करता है।

◦ राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:

- यह चुनी हुई सरकार को हसिया और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरित अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।

■ राजदरोह कानून से संबंधित मुद्दे:

- औपनविशकि युग का अवशेष:
 - औपनविशकि प्रशासकों ने ब्रटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजदरोह कानून का इस्तेमाल किया।
 - **लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी**, जवाहरलाल नेहरू, **भगत सहि** आदि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दण्डियों को ब्रटिश शासन के तहत उनके "राजदरोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
 - इस प्रकार राजदरोह कानून का इतना व्यापक उपयोग औपनविशकि युग की याद दिलाता है।
- संवधान सभा का रूख:
 - संवधान सभा संवधान में राजदरोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं थी। सदस्यों का तरक का कथियह भाषण और अभियक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा।
 - उन्होंने तरक दिया कलोगों के वरिष्ठ के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये राजदरोह कानून को एक हथयार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निरिण्यों की अवहेलना:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में केदार नाथ सहि बनाम बहिर राज्य मामले में धारा 124A की संवैधानिकता पर अपना निरिण्य दिय। इसने देशदरोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हस्ति के लिये उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिय।
 - इस प्रकार, शक्षावदीं, वकीलों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकरताओं और छात्रों के खलिफ देशदरोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
- लोकतांत्रिक मूलियों का दमन:
 - भारत को तेजी उभरते एक नरिवाचति नरिकुश राज्य के रूप में वर्णित किया जा रहा है, मुख्य रूप से राजदरोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण।

■ हालयि वकिस:

- **फरवरी 2021 में**, **सर्वोच्च न्यायालय** (Supreme Court) ने एक राजनीतिक नेता और छह वरषित पत्रकारों को उनके खलिफ दर्ज राजदरोह के कई मामलों में गरिफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है।
- **जून 2021 में**, सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार दवारा दो तेलुगु (भाषा) समाचार चैनलों को जबरदस्ती कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हुए राजदरोह की सीमा को परभिष्टि करने पर ज़ोर दिय।
- **जुलाई 2021 में**, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें देशदरोह कानून पर फरि से विचार करने की मांग की गई थी।
 - न्यायालय ने कहा, "सरकार के प्रति असंतोष" की असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट परभिष्टि आधार पर स्वतंत्र अभियक्ति की अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून **अनुच्छेद 19 (1)** (अ) के तहत गारंटीकृत अभियक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से अनुमेय भाषण पर 'दुरुतशीतन प्रभाव' (Chilling Effect) का कारण बनता है।

आगे की राह:

- IPC की धारा 124A की उपयोगिता राष्ट्रवरीधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से नपिटने में है। हालाँकि, सरकार के निरिण्यों से असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मजबूत सार्वजनिक बहस का आवश्यक तत्त्व है। इन्हें देशदरोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिय।
- उच्च न्यायपालिका को अपनी परयवेक्षी शक्तियों का उपयोग मजस्सिटरेट और पुलसि को अभियक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु करना चाहिय।
- राजदरोह की परभिष्टि को केवल भारत की क्रष्णरीय अखंडता के साथ-साथ देश की संपर्भुता से संबंधित मुद्रों को शामिल करने के संदर्भ में संकुचित किया जाना चाहिय।
- देशदरोह कानून के मनमाने इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिक समाज को पहल करनी चाहिय।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभियक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का एक अनविराय घटक है जो अभियक्ति विचार उस समय की सरकार की नीतिके अनुरूप नहीं हो उसे देशदरोह नहीं माना जाना चाहिय।
- देशदरोह' शब्द अत्यंत संवेदनशील है और इसे सावधानी के साथ लागू करने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हॉट्स